

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
 रिछपाल बनाम सुभाष आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 19 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.02.2024	<p>प्रार्थी की तरफ से वकील श्री मांगीलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 07.03.2024 को पेश हो।</p> <p>07/03/2024 1कुलाए कसेकन उपास्थत/PU माह 2 फिम कार 2 मेथर 2 पत्रावली सुभाष आदि गस्त 2 दिनांक 14.03.2024 के पेश हो</p>	
14.5.2024	<p>1कुलाए कसेकन उपास्थत/PU माह 2 फिम कार 2 मेथर 2 पत्रावली सुभाष आदि गस्त 2 दिनांक 14.5.2024 के पेश हो</p>	
11.7.2024	<p>1कुलाए कसेकन उपास्थत/PU माह 2 फिम कार 2 मेथर 2 पत्रावली सुभाष आदि गस्त 2 दिनांक 11.7.2024 के पेश हो</p>	
18.9.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी उपस्थित नही। वकील प्रार्थी प्रार्थी स्वयं को बार-बार भावाण लगाई किने की दाखिल नही। प्रार्थना - पत्र कडम दाखिल व कडम फुकी में पत्रावली ज छिपा जाहा है। पत्रावली नम्बर से कडा की जाकर कड व (A) क वकील दाखिल दाखिल फकत हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	